

नई सेवा/सेवा का नया साधन में व्यय के प्रस्ताव भेजने हेतु प्रपत्र

1. प्रस्ताव का विवरण :-

- (अ) प्रस्ताव/योजना का लाभ -----
- (ब) प्रस्ताव/योजना का विवरण एवं उद्देश्य -----
- (स) प्रस्ताव/योजना का औचित्य तथा प्रस्तावित योजना का अन्य विकल्प जिस पर विचार किया जा सकता है -----

- (द) प्रस्ताव/योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का विवरण तथा प्रस्ताव/योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी का विवरण -----

2. प्रस्ताव/योजना पर निहित वित्तीय भार :-

- (अ) योजना का प्रकार (राज्य आयोजना, केन्द्रीय क्षेत्रीय सहायता या केन्द्र प्रवर्तित योजना, आयोजनेत्तर) (यदि राज्य आयोजना या आयोजनेत्तर नहीं है तो एजेंसी का नाम अंकित करें ।) -----

- (ब) कुल व्यय - (आवर्ती और अनावर्ती व्यय का वर्षवार विस्तृत विवरण, पृथक-पृथक संलग्न करें) -----
- (स) आयोजना सीमा - (यदि आयोजना है तो आयोजना सीमा दे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट प्रावधान दे, यदि बजट प्रावधान नहीं है तो प्रस्तावित व्यय की पूर्ति किस प्रकार की जावेगी) -----

- (द) यदि व्यय में विदेशी सहायता प्राप्त है तो विवरण दें -----

- (इ) यदि कुल व्यय में अनुदान, ऋण या सहायक अनुदान प्राप्त हो रही हो तो उसकी शर्तें

- (ई) प्रस्तावित योजना हेतु यदि स्टाफ आवश्यक हो तो उसकी संख्या तथा वेतनमान (पृथक से विवरण संलग्न करें) :-
- (च) निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण, औचित्य तथा अनुमान का आधार (पृथक विवरण संलग्न करें) :-
- (छ) आवश्यक भंडार एवं उपकरण तथा औचित्य एवं लागत (पृथक विवरण संलग्न करें) :-
- (ज) अनुमानित प्रतिफल तथा अन्य आर्थिक प्रतिफल यदि कोई हो तो -----

3. (अ) योजना विभाग की टीप :- (आयोजना के प्रस्ताव हेतु) -----

- (ब) यदि प्रस्तावित योजना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उस विभाग की टीप -

(स) यदि प्रस्तावित योजना आदिवासी उप योजना से संबंधित है तो आदिवासी विकास विभाग की टीप -----

4. पूरक जानकारी, यदि कोई हो तो -----

5. निर्णय/स्वीकृति हेतु बिंदु -----

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
विभाग -----